-धारा 176 उपधारा 3 दण्ड प्रक्रिया संहिता
-4-5 ग्राम बनाम ओमप्रकाश

दावा 151/2022

2/2/23 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पत्रावली कि 13/2/23 को पेश हो।

13/2/23 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार के विभाजन प्रस्ताव पर हुआ। वकील उभय पक्ष ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार सीकर ग्रामीण के पत्र विभाजन प्रस्ताव क्रमांक मू.अ./23/406 का अवलोकन किया गया। वाद के पक्षकारों का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकार्ड है। वकील उभय पक्ष ने विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा डिक्री किया जाता है। तहसीलदार सीकर ग्रामीण के पत्र विभाजन प्रस्ताव क्रमांक मू.अ./23/406 दिनांक 2/2/23 अन्तिम निर्णय का भाग रहेगा। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। डिक्री पर्ची जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्रीमान
विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री बनाई जाती है। नं 1 से 6 को भाग में कोई अन्तर नहीं है।
प्रस्तुतकर्ता
Advocate

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर